

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 360]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 19, 2016/वैशाख 29, 1938

No. 360]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 19, 2016/VAISAKHA 29, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मई, 2016

सं. 34/2016-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 535(अ).— केन्द्रीय सरकार सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 96/2008 सीमा शुल्क, तारीख 13 अगस्त, 2008, सा.का. नि. सं. 590(अ), तारीख 13 अगस्त, 2008, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,

- i. क्रम सं 5 और 21 की प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।
- ii. क्रम सं 24 की प्रविष्टि में निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

“जनवादी लोकतांत्रिक ताइमोर-लस्ते”

[फा.सं. 354/189/2005-टीआरयू (भाग- II)]

अनुराग सहगल, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 96/2008-सीमा शुल्क, तारीख 13 अगस्त, 2008, सा.का.नि. 590 (अ), तारीख 13 अगस्त, 2008 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) द्वारा अधिसूचना सं. 12/2015-सीमा शुल्क, तारीख 10 मार्च, 2015, सा.का.नि. 177(अ), तारीख 10 मार्च, 2015 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th May, 2016

No. 34/2016-Customs

G.S.R. 535(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 96/2008-Customs, dated the 13th August, 2008 published vide number G.S.R. 590 (E), dated the 13th August, 2008, namely:-

In the said notification, in the Schedule,-

- i. entries against serial numbers 5 and 21, shall be omitted;
- ii. for the entry against serial number 24, the following entry shall be substituted, namely:-

“Democratic Republic of Timor-Leste”

[F.No.354/189/2005-TRU (Pt-II)]

ANURAG SEHGAL, Under Secy.

Note : The principal notification no. 96/2008-Customs, dated the 13th August, 2008 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) vide number G.S.R. 590(E), dated the 13th August, 2008 and was last amended by notification No. 12/2015-Customs, dated the 10th March, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) vide number G.S.R. 177(E) dated the 10th March, 2015.